

UPFR010043102023



220 Bail Application/1827/2023 Kayamganj
Arvind singh and one other Vs. State Government

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जनपद फर्रुखाबाद।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 1827/2023

अरविन्द सिंह व एक अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

17.08.2023

आज अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पेश हुआ।

आवेदक-अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह यादव एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक उपस्थित।

आवेदक-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि वह जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर पृष्ठांकन भी किया गया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है।

अतः जमानत प्रार्थनापत्र, गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, बल न दिये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक- अभियुक्तगण अरविन्द सिंह व एक अन्य की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।